(1)

(31)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2016/निगरानी R 4346-II-16

श्री ब्रजेन्द्र सिंह धाकड़ द्वारा आज दि. 26/12/16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

874
26.12.16

1- नक्कू पुत्र श्री किशनलाल धाकड,
2- सोमेश पुत्र श्री नक्कू किरार,
3- शक्ति पुत्र श्री नक्कू किरार,
4- विमल पुत्र नक्कू किरार,
निवासी ग्राम दीघोरी, तहसील कौलारस,
जिला - शिवपुरी (म0प्र0)

-- आवेदकगण

बनाम

रामगिर पुत्र श्री गजराजसिंह गोस्वामी,
निवासी - ग्राम मानीपुरा हाल ग्राम कार्यालय तहसील कौलारस जिला शिवपुरी (म0प्र0) अनावेदक

ब्रजेन्द्र सिंह धाकड़
26/12/16

निगरानी आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता,1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 30.01.2016 पारित न्यायालय तहसीलदार, तहसील कोलारस, जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 06/अ-70/2015-16 एवं आदेश दिनांक 18.11.16 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी कोलारस से दुखित होकर

माननीय न्यायालय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी आवेदन-पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

1- यहकि, अनावेदक द्वारा एक आवेदन पत्र धारा 250 के अन्तर्गत अपने स्वामित्व की भूमि सर्वे क्रमांक 1149 एवं 1151 पर आवेदकगण द्वारा अवैध कब्जा करने के संबंध में प्रस्तुत किया, जिसमें नोटिस जारी कर पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक से प्रतिवेदन लिये गये तथा आवेदकगणों को सूचना पत्र प्रेषित किया, जिसमें आवेदक के बालकों को भी पक्षकार बनाया गया, जबकि सरकारी अभिलेख में आवेदक के बालको का कोई नाम अंकित नहीं है। आवेदक द्वारा विधिवत जबाव प्रस्तुत किया। आवेदक को साक्ष्य एवं प्रतिपरीक्षण करने का कोई अवसर प्रदान किये बिना ही विवादित आदेश दिनांक 30.01.2016 पारित किया, जिससे परिवेदित होकर माननीय न्यायालय के समक्ष यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है।

(32)

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक – निगरानी–4346–दो/16 **जिला** – शिवपुरी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16.10.2017	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.एल. धाकड़ एवं अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. वाजपेयी उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्ताओं को प्रकरण की प्रचलनशीलता के बिन्दु पर सुना गया। उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं तहसीलदार कोलारस के आलोच्य आदेश का अवलोकन किया। तहसीलदार के आदेश के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि उनके द्वारा संहिता की धारा 250 के अंतर्गत जो आदेश पारित किया गया है, वह अंतिम प्रकृति का आदेश है, जो अपीलीय आदेश है। उक्त आदेश के विरुद्ध निंगरानी प्रचलन योग्य नहीं है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी इस न्यायालय में प्रचलन योग्य न होने से निरस्त की जाती है। आवेदक सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस हो। प्रशासकीय सदस्य	